

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप – 6

—: सेवानिवृत्ति आदेश :—

राजस्थान शिक्षा सेवा (स्कूल शिक्षा) के निम्नांकित संलग्न सूची में उल्लेखित हिन्दी प्राध्यापक को सेवा—नियम 1951 के उप नियम — 56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक:एफ. 1(6) एफडी नियम/98 दिनांक 28.12.1998, प.1(6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 एवं प.12 (6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24.03.2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत उनके/सम्बंधित कार्मिक द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित (कॉलम संख्या-7 में अंकितानुसार) सेवानिवृत्ति—तिथि से, राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति किया जाता है :-

| क्र. स. | नाम कार्मिक             | एम्प्लोई आईडी            | पदस्थापन स्थान                                                               | जिला  | जन्म तिथि  | सेवानिवृत्ति तिथि |
|---------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| 01      | 02                      | 03                       | 04                                                                           | 05    | 06         | 07                |
| 01      | BHINWA<br>RAM<br>SONDLA | RJJP198<br>7180105<br>21 | GOVT. SENIOR<br>SECONDARY SCHOOL<br>GILON KI DHANI<br>(213357) (08130413704) | SIKAR | 08-08-1963 | 31-08-2023        |

उक्त उल्लेखित व्याख्याता एवं समकक्ष के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाता है सारणी में नामित व्याख्याता एवं समकक्ष के विरुद्ध आज दिनांक तक -

01. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
02. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम - 19 के अधीन कोई प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
03. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(काना राम)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/10908/वो-2/सेवानिवृत्ति/23-24/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

01. अतिरिक्तनिदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान,.....
02. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा .....
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .....
04. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

Signature valid

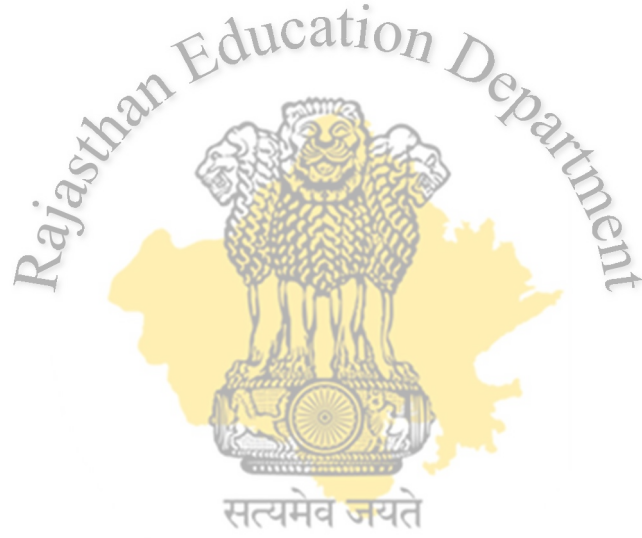
Digitally signed by Kana Ram  
Designation: Director  
Date: 2023.07.26 22:39:58 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4291487



05. संबंधित प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि सूची में उल्लेखित सेवानिवृत्ति होन वाले प्राध्यापक से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आपश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावें।
06. संबंधित कार्मिक .....
07. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका।

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर



Signature valid

Digitally signed by Kana Ram  
Designation: Director  
Date: 2023.07.26 22:39:58 IST  
Reason: Approver

RajKaj Ref No. : 4291487

